20 20 5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

K.P. Verma
05-01-12

Attested
Seka Ram Mahto
5/1/012

[illegible] 1908 की धारा 16 I Reg. के अधीन [illegible]
[illegible] 1899 की [illegible] 23 I A - with the Permission [illegible] D.C. Simdega vide [illegible]
Case No 193/11-12, order dt 14.12.11.

[illegible] 05/01/2012.

05/01/12

।1। लेखयकारी :- श्री डेविट खड़िया पिता स्व0 झमलुस खड़िया, जाति- खड़िया, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सलडेगा रानेटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

...... विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 18/2012

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

{2} लेख्यधारिणीः- मुहाती कुल्लू पिता श्री सिमोन कुल्लू जाति- खड़िया, पेशा- गृहस्थी, निवास ग्राम- सिमडेगा बुधराटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्याः- 19/2012

{3} लेख्यप्रकारः- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

{4} मूल्यः- मोबलिग एक लाख साठ हजार रूपये अंके 1,60,000/- रूपये होता है । निर्धारित बाजार मूल्य 1,60,100/- रूपये ।

{5} सम्पतिः- एराजियात अन्दर मौजा- सलडेगा खास, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 117, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 73 {तिहत्तर} प्लॉट नं0 539 {पाँच सौ उनचालिस} रकबा 0.10 एक0 {दस डिसमिल} आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दीः-

उत्तरः- दोन नीज बिक्रेता,

दक्षिणः- इसी प्लॉट पर छोड़ा गया रास्ता कच्चा 10 फीट चौड़ा,

पूरब :- टांड़ इसी प्लॉट का अंश,

इ0नि0 [illegible] [illegible] वा0 [illegible] दि0 5-1-2012

[illegible] उरांव पिता स्व0 [illegible] उरांव ग्राम - सलडेगा थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा 5/1/2012

100Rs.

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

पश्चिम:- टाँड़ इसी प्लाट का अंश ।

मालगुजारी 3 पैसा (तीन पैसा) अलावे सेस सलाना ।

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे बगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे ददा राने खड़िया वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । मेरे ददा एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद उक्त जमीन मुझे उत्तराधिकारी के हैसियत से मौखिक मियादी बँटवारा

दि. 5.1.2012

100Rs.

--4--

में प्राप्त हुआ है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है । फिलहाल मालगुजारी रसीद मेरे दादा राने खड़िया वगै0 के नाम से कटता है ।

(4) चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 193/2011-12 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 14.12.11 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 1272(ii) दिनांक 14.12.2011 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैना कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

100 Rs.

--5--

मैं लेखयकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

हे०नि० डेविट खेड़िया
वा०. शिवनाथ महतो
ता०: 5-1-2012

हे०नि० डेविट खेड़िया
वा०. शिवनाथ महतो
ता०: 5-1-2012

प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी ... के बांये हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।
Sita Ram Mahto
Advocate
5/1/012

मैं लेखयधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सुहाती कुल्लू
5-1-2012

प्रमाणित किया जाता है कि लेखधारिणी सुहाती कुल्लू के बांये हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।

Sita Ram Mahto
Advocate
5/1/012

100 Rs.

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Sita Ram Mahto
Advocate
5/1/012
{प्रारूपकर्त्ता}
तारीख:-

5-1-2012

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 596 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसूद
5-1-2012

मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

50 Rs.